बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग
–:: संकल्प ::–

श्री घनश्याम रविदास, तत्कालीन सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण ईकाई, अररिया सम्प्रति श्रम अधीक्षक (निर्माण श्रमिक), बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के विरूद्ध संकल्प ज्ञापांक–6/श्रम वि0आ0(02)–73/2023 श्र0सं–2047 दिनांक–19.06.2024 द्वारा अधिरोपित दण्ड के विरूद्ध श्री रविदास से प्राप्त पुनर्विलोकन अभ्यावदेन पर विचार करते हुए अधिरोपित दण्ड वापस लेने के संबंध में।

श्री घनश्याम रविदास, तत्कालीन सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण ईकाई, अररिया विरूद्ध निदेशक समाज कल्याण निदेशालय के पत्रांक–1756 दिनांक–04.08.2018 द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन में इनके विरूद्ध अपने अधीनस्थ संचालित संस्थानों के अधीनस्थ संचालित प्रवेक्षण गृह के किशोरों के साथ हो रहे मारपीट, अभद्र व्यवहार एवं अन्य अवांछनीय कार्य आदि घटना घटित हो जाने के बावजूद संस्थान के विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई नहीं करने, न ही पूर्व के निरीक्षण प्रतिवेदन में उक्त संस्थान की वस्तुस्थिति से उच्च अधिकारी को अवगत कराने तथा टाटा इंस्टीच्युट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) कोशिश टीम द्वारा किये गये सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदन के आलोक में निदेश के बावजूद अपेक्षित कार्रवाई नहीं करने आदि जैसे आरोप यानि सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर समाज कल्याण विभाग द्वारा कर्तव्यहीनता एवं पदेन दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने के लिए आरोप गठित कर अधिसूचना संख्या–4415, दिनांक–04.08.2018 द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प–4586, दिनांक–10.08.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया।

2. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–5637, दिनांक–03.10.2018 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में उपर्युक्त गठित आरोपों को प्रमाणित पाया गया।

संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त लिखित द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गई समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए दोषी मानते हुए श्री दास को

'' दो वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध'' करने की शास्ति के साथ निलंबन मुक्त किये जाने तथा निलंबित अवधि के दौरान जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होने के निर्णय लिया गया।

3. इसी बीच माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार (CBI) द्वारा की गई जाँच में श्री रविदास के पूर्णियाँ पदस्थापन काल में जिला निरीक्षण समिति के सदस्य होने के बावजूद गृहो के निरीक्षण नहीं कराने हेतु जिम्मेदार मानते हुए कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई। उक्त अनुशंसा के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा इनके मामले की पुनः पूर्ण समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरांत इन्हें पूर्व में अधिरोपित शास्ति यथा– **दो वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध'' करने की शास्ति के साथ निलंबन मुक्त किये जाने तथा निलंबित अवधि के दौरान जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा''** को अपर्याप्त मानते हुए उसमें वृद्धि करते हुए श्री दास को '' **तीन वेतन वृद्धि असंचयात्मक**

प्रभाव से अवरूद्ध'' करने की शास्ति के साथ इन्हें निलंबन मुक्त करने तथा निलंबित अवधि में वेतन भत्ते के उसी अनुपात का भुगतान देय होगा, जो इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता के रूप में किया जा चुका है, का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात् बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–14 (VI) प्रावधानों के तहत **''तीन वेतन वृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने की शास्ति के साथ इन्हें निलंबन मुक्त करने तथा निलंबन अवधि में वेतन भत्ते के उसी अनुपात का भुगतान देय होगा, जो इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता के रूप में किया जा चुका है'' का दण्ड विभागीय ज्ञापांक–1893 दिनांक–18.03.2020 द्वारा अधिरोपित किया गया।**

4. इसी बीच श्री दास के श्रम सेवा के अन्तर्गत श्रम अधीक्षक के पद पर अनुशंसा के आलोक में दिनांक–13.05.2020 को श्रम अधीक्षक के पद पर श्रम संसाधन विभाग में योगदान समर्पित किया गया

5. श्री रविदास उक्त दण्डादेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC नं०–7378/2021 घनश्याम रविदास बनाम बिहार राज्य एवं अन्य दायर किया गया। उक्त वाद में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक–10.08.2022 को निम्न न्यायादेश पारित किया गया है:– न्यायादेश की कंडिका–07 में यह उल्लेख किया है कि The Court would observe that the imposition of minor punishment i.e., withholding of two annual increments without cumulative effect, having regard to the nature of lapse, does not require any interference. The plea taken by the petitioner that he was over-worked, cannot be a plea so as to sustain any kind of diligence, which has been dealt with, in the opinion of this Court, by commensurate penalty of withholding of two annual increments.

परित न्यायादेश की कंडिका–14 The order, therefore, is unsustainable being suffering from the vice of procedural lapses, as contained in Rule 28 of Bihar (CCA) Rules. The order dated 18-03-2020, in so far as it enhances the penalty to withholding of three increments with cumulative effect, is hereby quashed. Writ petition is allowed.

परित न्यायादेश की कंडिका–15 The petitioner would be entitled to be paid consequential benefits in accordance with law.

6. CWJC नं०–7378/2021 घनश्याम रविदास बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–10.08.2022 को उक्त पारित न्यायादेश एवं उक्त न्यायादेश के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में समाज कल्याण **विभाग ज्ञापांक–1893 दिनांक–18.03.2020 द्वारा अधिरोपित** दण्डादेश यथा –**''तीन वेतन वृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने की शास्ति के साथ इन्हें निलंबन मुक्त करने तथा निलंबन अवधि में वेतन भत्ते के उसी अनुपात का भुगतान देय होगा, जो इन्हें निर्वाह भत्ता के रूप में किया जा चुका है''** को अधिसूचना संख्या–1358 दिनांक–03.03.2023 द्वारा निरस्त कर दिया गया।

7. समाज कल्याण विभाग के पत्रांक–5231 दिनांक–17.10.2023 द्वारा वर्तमान अनुशासनिक प्राधिकार श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को नये सिरे से आरोप पत्र गठित कर साक्ष्यों की मूल प्रति के साथ उपलब्ध कराया गया।

8. उक्त के आलोक में आरोपों से संबंधित आरोप पत्र तथा आरोप के मदों को सिद्ध करने वाले साक्ष्य/अभिलेखों की प्रतियाँ उपलब्ध कराते हुए श्री घनश्याम रविदास, तत्कालीन सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, अररिया सम्प्रति श्रम अधीक्षक, बिहार भवन एवं

अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, बिहार, पटना से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17/19 के प्रावधानों के आलोक में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए विभागीय ज्ञापांक–864 दिनांक–07.03.2024 द्वारा बचाव बयान की मांग की गई।

9. श्री रविदास ने अपने पत्रांक–285 दिनांक–13.03.2024 द्वारा बचाव का लिखित अभिकथन समर्पित किया गया। समर्पित लिखित अभिकथन समीक्षोपरांत स्वीकार योग्य नहीं पाते हुए चूँकि समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा श्री घनश्याम रविदास के विरूद्ध पूर्व में आरोप पत्र गठित कर जाँचोपरांत ''दो वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने का शास्ति अधिरोपित किया गया।'' पुनः उक्त दण्ड में परिवर्तन कर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–14 (6) प्रावधान के तहत **''तीन वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने की शास्ति अधिरोपित की गयी''।** माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा उक्त वृहत दण्ड शास्ति को प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण अरक्षणीय मानते हुए निरस्त कर दिया गया परन्तु गलती की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए दो वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने की अधिरोपित शास्ति को अनुपातिक दण्ड माना है।

10. उक्त के आलोक में समीक्षोपरांत माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर वाद CWJC नं०–7378/2021 में दिनांक–10.08.2022 को पारित न्यायादेश के अनुरूप तथा बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 के नियम 19 के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक–2047 दिनांक–19.06.2024 द्वारा श्री रविदास के विरूद्ध **''दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने की अधिरोपित शास्ति''** का दण्ड अधिरोपित रखने का निर्णय लिया गया।

11. उक्त पारित आदेश के विरूद्ध श्री रविदास द्वारा अपने पुनर्विचार याचिका पत्रांक–670 दिनांक–24.06.2024 द्वारा **''दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध''** करने की शास्ति पर पुनर्विचार करते हुए विलोपित करने का अनुरोध किया है।

श्री रविदास अपने पुनर्विचार आवेदन में उल्लेख किया है, कि उनके लिखित अभिकथन पर विभाग द्वारा समुचित रूप से गौर नहीं किया गया है एवं ''दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने का दण्ड अधिरोपित किया गया है, जबकि इनके विरूद्ध कोई आरोप प्रमाणित नहीं है तथा वे पूरी तरह से निर्दोष है। साथ ही इन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि'' दिनांक–18.03.2020 को निलंबन मुक्त किये जाने के फलस्वरूप इन्हे 2019 एवं 2020 में उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिला है। पुनः श्रम संसाधन विभाग द्वारा उन्हें दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोके जाने शास्ति अधिरोपित की गयी है।''

12. वित्त (वै०दा०नि०को०), विभाग, बिहार, पटना से विभागीय पत्रांक–3139 दिनांक–11.09.2024 द्वारा श्री रविदास के दिनांक–18.03.2020 से निलंबन मुक्त किये जाने के पश्चात् वर्ष 2019 एवं 2020 में वार्षिक वेतन वृद्धि पुर्नस्थापित संबंधी सूचना की मांग की गयी।

वित्त (वै०दा०नि०को०), विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2110 (24) दिनांक–19.11.2024 द्वारा यह मंतव्य दिया गया है कि ''पूर्व की सेवा में निलंबन अवधि 04.08.20218 से 17.03.2020 के बीच नियमित वेतन वृद्धि दिनांक–01.07.2019 के पुर्नस्थापन के संबंध में कोई

कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। दिनांक–01.07.2020 के नियमित वेतनवृद्धि के लिए निलंबन अवधि के बाद लगातार छः माह की सेवा अपेक्षित है।''

दिनांक–01.07.2019 को अवरूद्ध वेतनवृद्धि देय नहीं है, साथ ही दिनांक–01.07.2020 के वार्षिक वेतन वृद्धि दिनांक–13.05.2020 को श्रम सेवा के अन्तर्गत श्रम अधीक्षक के पद पर योगदान के फलस्वरूप सेवा अवधि छः माह से कम होने एवं कैडर परिवर्तन होने के कारण दिनांक–01.07.2020 को देय वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं है।

13. इस प्रकार श्री रविदास को वित्तीय वर्ष 2019 एवं 2020 में वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिला है एवं पुनः श्रम संसाधन विभाग के संकल्प सं०–2047, दिनांक–19.06.2024 द्वारा दो वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने की शास्ति अधिरोपित किया जाना न्यायोचित प्रतित नहीं होता है।

14. अतएव श्री रविदास द्वारा अपने पुनर्विचार याचिका पत्रांक–670, दिनांक– 24.06.2024 द्वारा **''दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध''** करने की शास्ति पर पुनर्विचार करते हुए विलोपित करने संबंधी अनुरोध के आलोक में सम्यक विचारोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री घनश्याम रविदास, तत्कालीन सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण ईकाई अररिया सम्प्रति श्रम अधीक्षक (निर्माण श्रमिक), बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड बिहार, पटना के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक–2047, दिनांक–19.06.2024 द्वारा असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि अवरूद्ध रखने की शास्ति को निर्गत की तिथि से वापस लिया जाता है।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति श्री घनश्याम रविदास, तत्कालीन सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण ईकाई, अररिया सम्प्रति श्रम अधीक्षक (निर्माण श्रमिक) बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, बिहार, पटना को प्राप्त करायी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(अशोक राम)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक– 6/श्रम वि० आ०(02)–73/2023 श्र०सं०– पटना, दिनांक–

त डाक/स्पीड पस्ट प्रतिलिपि– श्री घनश्याम रविदास, तत्कालीन सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, अररिया सम्प्रति श्रम अधीक्षक (निर्माण श्रमिक) बिहार भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक– 6/श्रम वि० आ०(02)–73/2023 श्र०सं०– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि० कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक– 6 / श्रम वि० आ०(02)–73 / 2023 श्र०सं०– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि– जिला पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक– 6 / श्रम वि० आ०(02)–73 / 2023 श्र०सं०– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि– प्रधान सचिव / सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
ह० / –

ह0 / –
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः–6 / श्रम वि०आ०(02)–73 / 2023 श्र०सं०– 1526 पटना, दिनांक–14/5/25
प्रतिलिपिः– श्रमायुक्त, बिहार / विशेष सचिव / अवर सचिव / प्रभारी गोपनीय चारित्री / लोक सूचना पदाधिकारी / आई०टी० मैनेजर एवं प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा–01), श्रम ससाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13.5.25
सरकार के अवर सचिव

आई० टी० मैनेजर